तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व आइकाम हुक्म की तामील में जारी
5.8.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.8.23 को पेश हो।	
16.8.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। बहस प्रा०पत्र T.I. में वकील उभयपक्षकारान के दिये गए तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी के खेत में निर्माण करवा रहे हैं जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। जवाब मे वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण खुद की भूमि में ही निर्माण करवा रहे हैं। अतः प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रा०पत्र के सम्बन्ध में पटवारी पटवार हल्का मरां एवं ILR वृत्त बांसी की सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 23-7-2021 का अवलोकन किया गया। जिसमें खसरा सं. 580 की पश्चिमी मेर सीमा की सीमा पर अन्दर की ओर मकान (पक्का) बना हुआ होना अंकित किया है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है, सुविधा सन्तुलन [illegible] के पक्ष में ही साबित [illegible] प्रार्थीगण निर्माण न [illegible] निषेधाज्ञा जारी नही की जाती [illegible] को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना प्रतीत होती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.09 16:18:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने प्रा0पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम कालानला पटवार हल्का मरां तहसील नैनवां की खाता संख्या 120 की भूमि खसरा संख्या 580 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर नींवें नही खोदने, मकान का निर्माण नही करने, जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल न करने के आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रत्यार्थीगण को तार्फैसला वाद पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.09 15:18:09 IST
Reason: SelfAttested